संख्या–5 / बजट 1–02 / 2017 सा0–.....

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

स्पीड पोस्ट / ई–मेल

प्रेषक,

दयानिधान पाण्डेय
भा0प्र0से0
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार (पटना, नालंदा, गया, अरवल, मुजफ्फरपुर, सिवान, भागलपुर, लक्खीसराय, शेखपुरा, जमुई, पूर्णिया, अररिया एवं किशनगंज को छोड़कर)।

पटना, दिनांक– 2017

विषयः– बजट मुख्य शीर्ष 2053–जिला प्रशासन–00–093–जिला स्थापनाएँ–0001– जिला प्रशासन (विपत्र कोड–33-2053000930001) मांग संख्या–33 के अन्तर्गत 28 02 संविदा सेवाएँ विषय शीर्ष में वित्तीय वर्ष 2017–18 में व्यय के लिये कुल ₹ 3,37,50,000 / – (तीन करोड़ सैतीस लाख पचास हजार रूपये) मात्र का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित बजट मुख्य शीर्ष 2053–जिला प्रशासन–00–093–जिला स्थापनाएँ–0001– जिला प्रशासन (विपत्र कोड–33-2053000930001) मांग संख्या–33 के अन्तर्गत 28 02 संविदा सेवाएँ विषय शीर्ष में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017–18 में व्यय के लिये कुल ₹ 3,37,50,000 / – (तीन करोड़ सैतीस लाख पचास हजार रूपये) मात्र की राशि संलग्न विवरणी के अनुसार आवंटित की जाती है।

2. यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक 428 दिनांक 31.03.2017 एवं 3002 दिनांक 26.04.2017 के आलोक में दिया जा रहा है।
3. राशि का व्यय वित्त विभाग के परिपत्र संख्या–2561 दिनांक 17 अप्रैल 1998 एवं एतद् संबंधी अन्य पत्रों के आलोक में किया जायेगा।
4. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद नियमित रूप से नियुक्त कर्मी को ही किया जाय। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
5. **संविदा सेवाएँ विषय शीर्ष में आवंटित राशि से सिर्फ संविदा पर कार्यरत कर्मियों के मानदेय का भुगतान किया जायेगा।**
6. जिस पद के विरुद्ध संविदा पर कर्मी नियुक्त हैं, उनका भुगतान उसी पद से संबंधित बजट शीर्ष से किया जाये।
7. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष / लघुशीर्ष / उपशीर्ष / प्राथमिक इकाई आदि की स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।
8. बिहार वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत प्रावधानों तथा समय–समय पर निर्गत आदेशों का दृढतापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।
9. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।

10. नियमानुसार स्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाण पत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।
11. आवंटित राशि की मासिक व्यय विवरणी प्रत्येक माह की पाँचवी तारीख तक एवं त्रैमासिक व्यय विवरणी नियमित रूप से मुख्यालय को भेजना सुनिश्चित किया जाये।
12. इसकी सूचना महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।
13. आवंटित राशि का विचलन अन्य इकाई में अनुमान्य नहीं है।
14. उपर्युक्त आवंटित राशि के अतिरिक्त राशि की मांग के साथ संबंधित विषय शीर्ष में कुल आवंटित राशि, अद्यतन व्यय, अवशेष राशि एवं अभ्युक्ति अवश्य अंकित की जाय।
15. वास्तविक व्यय को आधार मानते हुए अतिरिक्त राशि की मांग की जाए न कि प्राक्कलित राशि के आधार पर राशि की मांग की जाए।

अनु0:– यथोक्त।

विश्वासभाजन
ह0/–
(दयानिधान पाण्डेय)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापक संख्या–5/बजट 1–02/2017 सा0–13/ पटना, दिनांक– 5–7/2017

प्रतिलिपि :– महालेखाकार बिहार, पटना/सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

संख्या–5 / बजट 1–02 / 2017 सा0–...13.....

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

स्पीड पोस्ट / ई–मेल

प्रेषक,

दयानिधान पाण्डेय
भा0प्र0से0
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार (पटना, नालंदा, गया, अरवल, मुजफ्फरपुर, सिवान, भागलपुर, लक्खीसराय, शेखपुरा, जमुई, पूर्णिया, अररिया एवं किशनगंज को छोड़कर)।

पटना, दिनांक– 5-7- 2017

विषयः– **बजट मुख्य शीर्ष 2053–जिला प्रशासन–00–093–जिला स्थापनाएँ–0001– जिला प्रशासन (विपत्र कोड–33-2053000930001) मांग संख्या–33 के अन्तर्गत 28 02 संविदा सेवाएँ विषय शीर्ष में वित्तीय वर्ष 2017–18 में व्यय के लिये कुल ₹ 3,37,50,000/– (तीन करोड़ सैतीस लाख पचास हजार रूपये) मात्र का आवंटन।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित बजट मुख्य शीर्ष 2053–जिला प्रशासन–00–093–जिला स्थापनाएँ–0001– जिला प्रशासन (विपत्र कोड–33-2053000930001) मांग संख्या–33 के अन्तर्गत 28 02 संविदा सेवाएँ विषय शीर्ष में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017–18 में व्यय के लिये कुल ₹ 3,37,50,000/– (तीन करोड़ सैतीस लाख पचास हजार रूपये) मात्र की राशि संलग्न विवरणी के अनुसार आवंटित की जाती है।

2. यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक 428 दिनांक 31.03.2017 एवं 3002 दिनांक 26.04.2017 के आलोक में दिया जा रहा है।

3. राशि का व्यय वित्त विभाग के परिपत्र संख्या–2561 दिनांक 17 अप्रैल 1998 एवं एतद् संबंधी अन्य पत्रों के आलोक में किया जायेगा।

4. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद नियमित रूप से नियुक्त कर्मी को ही किया जाय। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

5. **संविदा सेवाएँ विषय शीर्ष में आवंटित राशि से सिर्फ संविदा पर कार्यरत कर्मियों के मानदेय का भुगतान किया जायेगा।**

6. जिस पद के विरुद्ध संविदा पर कर्मी नियुक्त हैं, उनका भुगतान उसी पद से संबंधित बजट शीर्ष से किया जाये।

7. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष / लघुशीर्ष / उपशीर्ष / प्राथमिक इकाई आदि की स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

8. बिहार वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत प्रावधानों तथा समय–समय पर निर्गत आदेशों का दृढतापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

9. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।

10. नियमानुसार स्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाण पत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।
11. आवंटित राशि की मासिक व्यय विवरणी प्रत्येक माह की पाँचवी तारीख तक एवं त्रैमासिक व्यय विवरणी नियमित रूप से मुख्यालय को भेजना सुनिश्चित किया जाये।
12. इसकी सूचना महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।
13. आवंटित राशि का विचलन अन्य इकाई में अनुमान्य नहीं है।
14. उपर्युक्त आवंटित राशि के अतिरिक्त राशि की मांग के साथ संबंधित विषय शीर्ष में कुल आवंटित राशि, अद्यतन व्यय, अवशेष राशि एवं अभ्युक्ति अवश्य अंकित की जाय।
15. वास्तविक व्यय को आधार मानते हुए अतिरिक्त राशि की मांग की जाए न कि प्राक्कलित राशि के आधार पर राशि की मांग की जाए।

अनु0:– यथोक्त।

विश्वासभाजन

(दयानिधान पाण्डेय)
सरकार के अपर सचिव

वित्तीय वर्ष 2017–18 में व्यय के लिए (मुख्य शीर्ष 2053–जिला प्रशासन–093–जिला स्थापनाएं–0001–जिला प्रशासन) आवंटनः–

क्रमांक	जिला का नाम	(28 02) संविदा सेवाएँ
1	भोजपुर	10,00,000
2	बक्सर	10,00,000
3	रोहतास	18,00,000
4	कैमूर(भभुआ)	15,00,000
5	नवादा	12,00,000
6	जहानाबाद	10,00,000
7	औरंगाबाद	10,00,000
8	सीतामढ़ी	18,00,000
9	पू0चम्पारण	18,00,000
10	प0चम्पारण	18,00,000
11	शिवहर	8,00,000
12	वैशाली	20,00,000
13	दरभंगा	18,00,000
14	मधुबनी	12,00,000
15	समस्तीपुर	10,00,000
16	सारण	30,00,000
17	गोपालगंज	10,00,000
18	बांका	8,00,000
19	मुंगेर	4,50,000
20	खगड़िया	12,00,000
21	बेगूसराय	16,00,000
22	कटिहार	10,00,000
23	सहरसा	20,00,000
24	मधेपुरा	10,00,000
25	सुपौल	10,00,000
कुल योग –		**337,50,000**

(तीन करोड़ सैतीस लाख पचास हजार रूपये) मात्र।

सरकार के अपर सचिव
सामान्य प्रशासन विभाग